29वें अतिरिक्त सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जबलपुर

MACC No. 7067/2025
संस्थित दिनांक 16.10.2025

रामभरोसे .... आवेदक

विरूद्ध

अजय चौधरी व अन्य ....अनावेदकगण

10.03.2026 आवेदक द्वारा श्री अरविंद विश्वकर्मा अधिवक्ता।
अनावेदक क्रं. 1 व 2 अनुपस्थित।
अना.क्रं. 3 द्वारा श्री राजेश उपाध्याय अधिवक्ता।
प्रकरण उपस्थिति हेतु नियत रहा है।

इसी स्तर पर केंद्रीय पंजीयन अनुभाग से आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 22 नियम 3 सी.पी.सी. आई.ए.नं. 1/26 प्राप्त।

इसी स्तर पर आवेदक की ओर से उक्त आवेदन पर बल न देना व्यक्त किया गया, अतः आवेदक की ओर से बल न देने के कारण आई.ए.नं. 1/26 इसी आधार पर नस्तीबद्ध किया जाता है।

इसी स्तर पर आवेदक के अधिवक्ता श्री विश्वकर्मा द्वारा प्रकरण में आवेदक रामभरोसे की दुर्घटना दिनांक 02.10.2025 के परिणामस्वरूप ही दिनांक 08.11.2025 को मेडिकल कॉलेज जबलपुर में इलाज के दौरान मृत्यु होने से नवीन दावा संस्थित करने की अनुमति प्रदान करते हुए प्रकरण वापिस करने का निवेदन किया गया तथा उक्ताशय की टीप आदेश पत्रिका के हाशिए पर अंकित किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

आवेदन पर सुना गया।

यह क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण धारा–166 मो.या.अधि. के तहत् आवेदक रामभरोसे को दुर्घटना में आयी चोटों की क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण के लंबित रहने के दौरान आवेदक की दुर्घटना के परिणामस्वरूप ही इलाज के दौरान मृत्यु होने से नवीन दावा प्रस्तुत करने के कारण प्रकरण वापिस लेना बताया गया है एवं शव परीक्षण रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की गई है, लिहाजा बाद विचार न्यायहित में आवेदन स्वीकार कर उक्त दावा वापस लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। नया मृत्यु दावा संस्थित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर आवश्यक पूर्ति उपरांत दाखिल अभिलेखागार हो।

(धनकुमार कुड़ोपा)
सदस्य 29वें अति0मो0दु0दा0अधि0
जबलपुर(म.प्र.)

DHAN KUMAR KUDOPA
Digitally signed by DHAN KUMAR KUDOPA
Date: 2026.03.10 17:55:57 +0530